

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/पूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यादिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही नियम किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम को सुचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नमूने के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

नक्स खिड्की कोव्ल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम जोधपुर

आवेदन क्रमांक 79 / दिनांक 02/12/2020

श्री राजकुमार शर्मा डा 0 श्री कोव्ल श्याम शर्मा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (2) (ग) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वीकारण तारीख 30/3/2021 जमा

जारी तारीख 30/3/2021 3653 3658

दिनांक 02/12/2020 को जमा करा दी है ।

(Signature)

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम जोधपुर

जी+1
आवासीय

P.No-118-A पुरबी पुडा
रमासा रोड

(Signature)
63278 30/12/21